दाखिल-खारिज याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया

दाखिल-खारिज याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया

❖ दाखिल-खारिज क्या है?

"दाखिल खारिज" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग में अधिकार के अतंरण के फलस्वरूप चालू खतियान , अभिधारी खाता-पंजी तथा खेसरा पंजी के इन्द्राजों में निम्नलिखित किसी उपाय/लिखत द्वारा परिवर्तन :-

(क) क्रय-विक्रय, दान;

(ख) विनिमय;

(ग) होल्डिंग का बटंवारा;

(घ) विरासत/निर्वसीयत उत्तराधिकार अथवा वसीयती ;

(ङ) विल;

(च) सिविल परक्रिया सहिंता, 1908 के अधीन न्यायालय का आदेश/डिक्री;

(छ) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम , 2009 के अधीन न्यायालय का आदेश/डिक्री;

(ज) सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बंदोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन;

(झ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जन;

(ञ) बिहार भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954के अधीन प्रदत्त भूमि;

(ट) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम , 1947 के अधीन वासगीत स्थल की बन्दोबस्ती;

(ठ) क्रय नीति, 2010 के अधीन महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि का त्रिपक्षीय क्रय;

(ड) कोशी क्षेत्र (रैयतो को भूमि-वापसी) अधिनियम , 1951 के अधीन पर्वू रैयत को भूमि का प्रत्यावर्तन;

(ढ) भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्तन ;

(ण) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन अधिशेष भूमि की बंदोबस्ती, अथवा;

(त) किसी अन्य उपाय/लिखत द्वारा जिसे सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है।

❖ दाखिल-खारिज क्यों जरुरी है?

- भूमि के दाखिल-खारिज के माध्यम से , एक व्यक्ति को भूमि का अधिकार हासिल करने के लिए सक्षम है|

- भूमि के स्वामित्व पर विवाद से बचने के लिए दाखिल-खारिज दोनों दलों , यानी खरीदार और विक्रेता के लिए कारगर साबित हुआ है|

❖ कानूनी ढांचा :

दाखिल-खारिज की कार्यवाही बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम ,2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2012, बिहार भूमि दाखिल-ख़ारिज अधिनियम,2011 और बिहार भूमि दाखिल-ख़ारिज नियमावली,2012 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है|

❖ संबंधित विभाग :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |

❖ दाखिल खारिज याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया:

किसी होल्डिंग या उसके किसी भाग में किसी तरह/लिखत द्वारा हित अर्जन करनेवाला कोई व्यक्ति चालू खतियानअभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी , जो हल्का एवं अंचल कार्यालय में क्रमशः प्रपत्र-I ख,II एवं III में संधारित की जाएगी , उस होल्डिंग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उसके नाम दाखिल-खारिज करने के लिए उस अंचल अधिकारी के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो , न्यायालय में अथवा उस क्षेत्र के दाखिल-खारिज याचिका प्राप्त करने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में प्रपत्र-I क में याचिका दायर कर सकेगा।

❖ दाखिल-खारिज याचिका में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे:

(i) क्रय , दान तथा बदलैन द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित होने के मामले में निबंधित विलेख की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(ii) बिना दाखिल-खारिज हुए भूमि के अंतरण के मामले में , पूर्वगामी विलेख (खों) या आदेश (शों), यदि कोई हो, की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(iii) वसीयत के द्वारा हित अर्जित होने के मामले में , वसीयत के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा पारित प्रोबेट आदेश की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।

(iv) सक्षम न्यायालय के आदेश/डिक्री द्वारा हित अर्जन के मामले में , न्यायालय के आदेश/डिक्री की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(v) निबंधन के माध्यम से बंटवारा के मामले में , निबंधित बंटवारे के विलेख की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(vi) आपसी सहमति से बंटवारा के मामले में , सभी सह हिस्सेदारों की सहमति तथा सह हिस्सेदारों के हस्ताक्षर जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति के

सदस्यों/सरपंच /मुखिया/वार्ड सदस्य/पंच अथवा शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद द्वारा सम्यक रूप से पहचान की जायगी, दर्शानेवाली दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(vii) उत्तराधिकार द्वारा हित अर्जन के मामले में , पूर्वज के देहान्त होने तथा मृतक के उत्तराधिकारी होने से सम्बन्धित याचिकाकर्ता के दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(viii) भूदान भूमि की बन्दोबस्ती के मामले में , भूदान यज्ञ समिति द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती का दस्तावेज/भूदान भूमि के पर्चा की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(ix) लोक भूमि , यथा गैरमजरूआ मालिक/खास , गैरमजरूआ आम , भूहदबंदी अधिशेष भूमि आदि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन आदि के माध्यम से हित अर्जन के मामले में , लोक भूमि की बन्दोबस्ती/हस्तांतरण/समनुदेशन के दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(x) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम , 1947 के अधीन निर्गत पर्चा की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति , उक्त अधिनियम के अधीन बन्दोबस्ती के मामले में;

(xi) महादलित परिवारों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार सरकार की भूमि क्रय नीति , 2010 के अधीन भूमि के क्रय के मामले में , त्रिपक्षीय निबंधित विलेख की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(xii) भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावत्रित करने के मामले में, भूमि या उसके किसी भाग के रैयत को प्रत्यावर्तन दर्शानेवाले दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(xiii) कोशी क्षेत्र (रैयत को भूमि प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि के प्रत्यावर्तन के मामले में पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्तन दर्शानेवाले दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(xiv) होल्डिंग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में जिसके लिए दाखिल खारिज के लिए याचिका दायर की जा रही हो , अंतिम लगान-रसीद, यदि उपलब्ध हो, की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति;

❖ स्वीकृत अधिकारी :

सम्बंधित अंचल का अंचल अधिकारी |

❖ कार्यालय समय :

आर०पी०टी०एस० काउन्टर- सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक|

❖ दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय-सीमा

नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय सीमा:-

(1) नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों, जिसमे कोई आपत्ति प्राप्त नही हो,के निपटारे की समय-सीमा दाखिल-खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से इक्कीस (21) कार्य-दिवस, अठारह (18)कार्य-दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य-दिवस शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

(2) नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज वादों, जिनमे आपत्तियाँ प्राप्त हुई हो के निपटारे की समय-सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से तिरेसठ (63) कार्य-दिवस, साठ (60)
कार्य-दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य-दिवस शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए, की हागी ।

शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय-सीमा:

(1) शिविर न्यायालय मे दाखिल खारिज मामलों जिनमे कोई आपत्ति प्राप्त नही हो, क्र निपटरे की समय-सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से अठारह (18) कार्य-दिवस, पन्द्रह (15) कार्य-दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य-दिवस शुद्धि-पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

(2) शिविर न्यायालय मे दाखिल खारिज याचिका ओ, जिनमे आपत्तियाँ प्राप्त हुई हो, के निपटारे की समय-सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से तिरेसठ (63) कार्य-दिवस, साठ (60) कार्य-दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं (03) कार्य-दिवस शुद्धि-पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

❖ किसको अपील दायर कर सकते है?

अंचल अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति , आदेश के पारित होने के तीस (30) दिनों के भीतर सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें :

बिहार भूमि दाखिल-ख़ारिज अधिनियम, 2011 और बिहार भूमि दाखिल-ख़ारिज नियमावली,2012 जो www.lrc.bih.nic.in पर उपलब्ध है|

फार्म- I क

(देखें नियम-3 उपनियम (1))

दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र

सेवा में,

अंचल अधिकारी ,

अंचल .....

अनुमंडल .....

जिला .....

महाशय,

मैं/हमलोग .....पुत्र (त्रों)/पुत्री (त्रियाँ)/पत्नी ..... निवासी ग्राम..... डाकघर.....थाना.....अंचल..... जिला..... ने भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है, में क्रय/दान/ बदलैन/बँटवारा/निर्वसीयती उत्तराधिकार/वसीयती उत्तराधिकार/लोक भूमि की बंदोबस्ती/ भूदान भूमि का अनुदान/सक्षम न्यायालय की डिक्री/किसी अन्य विधि (अन्य विधि का उल्लेख) ..... (सुसंगत विधि को चिन्हित करें) द्वारा हित अर्जित किया है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	भूमि का विवरण			
					खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चैहद्दी
1	2	3	4	5	**6**	**7**	**8**	**9**

मैं/हमलोग इसके साथ उपर्युक्त भूमि में हित अर्जित दर्शानेवाले दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं। मेरा/हमलोगों का भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्व वाद से मुक्त है।

मैं/हमलोग अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त भूमि का दाखिल खारिज मेरे/हमलोगों के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकों की सूची:-

विश्वासभाजन

याचिकाकर्ता(ओं) का हस्ताक्षर

तिथि-.....